(५१) (3)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,**

**सदस्य**

---

निगरानी-853-दो/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 09.02.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 446/अपील/10-11

---

गायत्री देवी पत्नी कुन्दन प्रसाद तिवारी उम्र 55 वर्ष
निवासी- डाढा कला, तह. त्योथर
जिला- रीवा (म.प्र.) .....**आवेदिका**

**विरुद्ध**

1. रामनिरंजन तनय रामनिवास शुक्ला
2. परमानन्द शुक्ला
3. राकेश शुक्ला
4. विनोद शुक्ला

   तीनों के पिता रामहितकारी शुक्ला सभी निवासीगण
   ग्राम मलपार तह. त्योथर जिला- रीवा (म.प्र.)
5. रामप्रसाद भुजवा सचिव ग्राम पंचापयत झोठिया
7. श्रीमती निर्मला देवी सरपंच ग्राम पंचायत झोठिया

   दोनों निवासी ग्रा. झोठिया, तह. त्योथर
   जिला- रीवा (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर

अनावेदकगण एकपक्षीय हैं।

---

**आदेश**

(आज दिनांक...29/06/19.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 446/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2009 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 14.12.2010 द्वारा अस्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 09.02.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपर आयुक्त महोदय द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 31.08.2009 के विपरीत नक्शा तरमीम का प्रकरण मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अहम कानूनी त्रुटि की गई है जबकि नामांतरण आदेश व रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र पर व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इस कारण राजस्व न्यायालय को नामांतरण आदेश रद्द करने की अधिकारिता ना होते हुए भी निरस्त किया गया है जो विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्री दिनांक से निगरानीकर्ता भूमि खसरा नं. 6/1 रकवा 1.06 एकड़ के भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी मौके पर है। तथा उसके द्वारा उक्त भूमि पर बाउन्ड्री वाल भी

बनवाई गई है तथा पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, लेकिन अनावेदकगण आपस में काफी जन वाले परिवार हैं एवं धन दौलस से भी सम्पन्न हैं। इस कारण आवेदिका जो महिला है उससे जोर जबरदस्ती करते हुए कब्जा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जिसमें एक महिला को अपने ही स्वत्व व आधिपत्य से विधि विरुद्ध बेदखल होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

4. अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों का अवलोकन किया गया। तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय के प्रकरण क्र. 10039/16 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2017 की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उसका अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है। अनावेदकगण का जहां तक यह कहना है कि विक्रय-पत्र में गलत चौहद्दी दर्शायी गई है, जिसके कारण नामांतरण निरस्त किया जाना उचित है। अनावेदकगण का यह तर्क विधि की मंशा के विपरीत है, क्योंकि राजस्व न्यायालय पंजीकृत विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण करेगा, उसकी वैधता की जांच नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर किया गया नामांतरण निरस्त किया गया है जबकि विक्रय-पत्र को प्रभावहीन घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा सिविल न्यायालय के आदेश को देखने से भी यह स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय द्वारा भी विक्रय-पत्र को प्रभावहीन एवं शून्य नहीं माना जाकर अनावेदक क्र. 1 का वाद निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश अवैधानिक एवं अनौचित्यपूर्ण है जिसे स्थिर नहीं रखा जा

सकता। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त का आदेश विधि के विपरीत होकर अवैधानिक है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 निरस्त किया जाता है।

**(महेश चन्द्र चौधरी)**
**सदस्य**
**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश**
**ग्वालियर**